न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :- श्री सूर्यकान्त शर्मा RAS

अनुवान रणवीर सिंह बनाम गुगनराम आदि

वाद संख्या 197 वर्ष 2023

निर्णय दिनांक :- 18.06.2024

1. रणवीर सिंह पुत्र गुगनराम जाति नायक साकिन राजपुरा तहसील तारानगर (चूरू)

वादी

बनाम

1. गुगनराम पुत्र बेगाराम जाति नायक साकिन राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. विजेन्द्र सिंह पुत्र गुगनराम जाति नायक साकिन राजपुरा तहसील तारानगर (चूरू)
3. शीशराम पुत्र गुगनराम जाति नायक साकिन राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. भंवरी देवी पुत्री गुगनराम जाति नायक साकिन राजपुरा तहसील तारानगर (चूरू)
5. सन्तोष देवी पुत्री गुगनराम जाति नायक साकिन राजपुरा तहसील तारानगर (चूरू)
6. कृष्णा पुत्री गुगनराम जाति नायक साकिन राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
7. मनोज कुमार पुत्र विमला देवी पुत्री गुगनराम जाति नायक साकिन ख्याली तह. मलसीसर (झूझूनूं)
8. सत्यवीर पुत्र विमला देवी पुत्री गुगनराम जाति नायक साकिन ख्याली तह. मलसीसर (झूझूनूं)
9. उषा पुत्री विमला देवी पुत्री गुगनराम जाति नायक साकिन ख्याली तह. मलसीसर जिला झूझूनूं
10. पूनम पुत्री विमला देवी पुत्री गुगनराम जाति नायक साकिन ख्याली तह. मलसीसर (झूझूनूं)
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसील तारानगर जिला चूरू
12. मैनेजर पंजाब नैशनल बैंक शाखा दुधवाखारा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :-

1. **श्री अनिल कुमार स्वामी तारानगर अधिवक्ता वास्ते वादी**
2. **श्री नरेन्द्र कुमार अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 10**
3. **राजपैरोकार**

उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

-: निर्णय :-

वादी द्वारा प्रस्तुत की दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी कृषि भूमि ख.नं. 1202/296 तादादी 01.0622 हैक्टेयर, ख.नं. 757/295 तादादी 06.1581 हैक्टेयर कुल

अधिकारी
तारानगर(चूरू)

तादादी 07.1581 हैक्टेयर वाके रोही राजपुरा तहसील तारानगर वाद पक्षकारान के पूर्वज बेगाराम की खातेदारी कृषि भूमि रही हैं। उपरोक्त कृषिभूमि ही विवादित है।

मौरूसी पैतृक कृषिभूमि वादी के संयुक्त परिवार की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषिभूमि है जो पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 के पिता स्व. श्री बेगाराम के नाम खातेदारी में दर्ज थी। जिनके वाद उक्त कृषिभूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम विरास्तन खातेदारी दर्ज हुई जो आज तक चली आ रही है। वादी का परिवार हिन्दू विधि की मीताक्षरा पद्धति से शासित होता है और हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आदेशात्मक प्रावधानों के अनुसार वादी का जन्म से (By Brith) से हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 ता 6 व 7 ता 10 भी आराजी के सहकृषक व सहखातेदार है।

वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 10 के मध्य सम्पुर्ण सम्पतियों का मौखिक पारिवारिक बंटवारा हुआ था। मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादगत कृषिभूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 को ख.नं. 757/295 तादादी 06.1581 हैक्टेयर का 1/3, 1/3 हक व हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 को ख.नं. 1202/296 तादादी 01.0622 हैक्टेयर भूमि दी गई थी। प्रतिवादी संख्या 4 ता 10 ने अपना हक वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर दिया। उसी अनुसार वादी ने अपनी कृषिभूमि पर कब्जा कर बाड़बन्दी कर अलग सींव डाल रखी है व अपने उपयोग उपभोग में लेते आ रहे है। प्रतिवादी सं. 1 ता 3 भी अपने हिस्सा पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है। उपरोक्त पारिवारिक बंटवारे के अनुसार वादी उक्त कृषिभूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता है। जिसका वह पारिवारिक बंटवारानामा के अनुसार कानूनी अधिकारी है। इसलिए यह घोषणात्मक वाद पेश किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 को मुताबिक पारिवारिक बंटवारानामा ख.नं. 757/295 तादादी 06.1581 हैक्टेयर के उसके 1/ 3 हिस्से को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने हेतु कई बार कहा मगर प्रतिवादी सं. 1 ने इस बाबत कोई रूचि नहीं दर्शायी व अब दिनांक 11.02.2023 को बमुकाम राजपुरा में ऐसा करने से इन्कार भी कर दिया। इसलिये यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादीगण को विवादित कृषिभूमि दादालाई कृषिभूमि होने से प्राप्त है। आदि–आदि

इस प्रकार वादी ने वादपत्र पेश कर कृषि भूमि ख.नं. 757/295 तादादी 06.1581 हैक्टेयर वाके रोही राजपुरा तहसील तारानगर का 1/3 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित करने का अनुतोष चाहा।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 ने जरिये अधिवक्ता व जबाव इकबालदावा पेश किया। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। राजपैरोकर ने कोई जबाव पेश नहीं किया अतः इनका जबाब बन्द किया गया। दावा का कोई खण्डन पेश नही होने से तनकी कायम नहीं की गई। बहस उभय पक्ष के अधिवक्तागण की सुनी गई। दोनो पक्षो ने मुताबिक इकबालदावा वाद डिक्री करने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 स्व. बेगाराम के पौत्र पुत्र हैं। विवादित भूमि का सम्पूर्ण हिस्सा गुगनराम के नाम की खातेदारी दर्ज है जो स्व. बेगाराम से विरासतन प्राप्त पैतृक भूमि है। जिसके वादी तथा प्रतिवादी स. 2 ता 3 का बराबर हिस्सा बनता है। जिसे जबाव इकबालदावा में प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी पुष्ट एवं प्रमाणित पाया जाता है। ऐसी सुरत में वाद वादी मुताबिक जबाव इकबालदावा डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर(चूरू)

-:: आदेश ::-

अतः वाद बरुये इकयालदावा डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख.नं. 757/295 तादादी 06.1581 हैक्टेयर वाके रोही राजपुरा तहसील तारानगर में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 के नाम व.हि.व. खातेदार दर्ज के आदेश दिये जाते है। कृषि भूमि ख.नं. 1202/296 तादादी 01.0622 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत रहेगी। तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड कलमजन कर उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करें। समस्त भूमि सम्बन्धित बैंक के नाम रहन दर्ज रखी जावें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सूर्यकान्त शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)